



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



खालिद अरशद, बि०प्र०से०  
प्रशासी पदाधिकारी-सह-  
प्रभारी, मानव संसाधन

आदेश सं०:CMO/KA/CSH/2014/.....

पटना, दिनांक: ..... / 07 / 2017

## —: आदेश :—

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या-04/16 {पी०आर०नं० 13914(नि०नि०)15-16} के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) के तहत VBD Consultant (District) के पदों पर चयन/नियोजन हेतु आयोजित Walk-in-Interview के उपरांत सफल घोषित नवचयनित अभ्यर्थियों को निम्नवत् जिला स्वास्थ्य समिति में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	पंजीयन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पता	कोटि	गृह जिला	पदस्थापन
1	125010	Dhirendra Kumar	01.03.1979	Vill-Jalalpur, PO-Nursarai, Nalanda-803113	UR	Nalanda	Vaishali
2	125027	Randhir Kumar	13.01.1983	Vill-Kanaudi, PO-Muther, Jehanabad-804408	BC	Jehanabad	Purnea

- संबंधित नवचयनित अभ्यर्थी को निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 10.08.2017 तक नवपदस्थापित जिला स्वास्थ्य समिति में योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। संबंधित जिला के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा दिनांक 14.08.2017 तक योगदान की सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को देंगे।
- योगदान के पश्चात् संबंधित VBD Consultant (District) के साथ जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एकरारनामा किया जाएगा।
- VBD Consultant (District) का मानदेय भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) के तहत ₹30,000/प्रतिमाह योगदान की तिथि के प्रभाव से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संबंधित कर्मों को योगदान के तुरंत बाद एकरारनामा कर कार्य आवंटित कर दिया जाय। इसमें विलम्ब अवांछनीय होगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर कुल 11 माह या जबतक इस कार्य हेतु राशि उपलब्ध हो, के लिए किया जा रहा है। नवचयनित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जा सकेगा।
- नवचयनित अभ्यर्थियों का संविदागत नियोजन के आधार पर किसी भी तरह का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।





# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

7. सभी नवचयनित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा करवाया जाना है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति दो माह के अंदर संबंधित कर्मियों का चरित्र सत्यापन एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जाँच करवा लेंगे।
8. उक्त पर सचिव, स्वास्थ्य-सह-कार्यपालक निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(खालिद अरशद)

ज्ञापांक : CMO/KA/CSH/2014/.....2262 पटना, दिनांक: 25/07/2017

प्रतिलिपि: सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, NVBDCP, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट [www.statehealthsocietybihar.org](http://www.statehealthsocietybihar.org) पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

  
प्रशासी पदाधिकारी  
-सह-  
प्रभारी, मानव संसाधन

